भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1383

26 जुलाई, 2022 को उत्तर के लिए नियत

फेम इंडिया योजना का दूसरा चरण

1383. श्री डी.एम. कथीर आनन्द:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में (हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक) वाहनों के त्वरित अंगीकरण एवं विनिर्माण स्कीम (फेम इंडिया) के दूसरे चरण को 10,000 करोड़ रुपए की कुल बजटीय सहायता के साथ पांच वर्ष की अवधि के लिए लागू किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सार्वजनिक और साझा परिवहन के विद्युतीकरण का समर्थन करने वाले सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवीएम) के लिए प्रदान की गई राजसहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने वर्ष 2030 तक विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) लाने का लक्ष्य रखा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार हरित परिवहन योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहन डिपो स्थापित करने और इलेक्ट्रिक तथा हाइब्रिड वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री कृष्ण पाल गुर्जर)

(क): महोदय, सरकार ने शुरूआत में फेम इंडिया स्कीम के चरण-II को कुल 1000 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता से, दिनांक 1 अप्रैल 2019 से तीन वर्ष की अवधि के लिए अधिसूचित किया था। इस स्कीम को दो वर्षों की अवधि अर्थात् दिनांक 31 मार्च, 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। इस चरण में सार्वजनिक और साझा परिवहन के विद्युतीकरण के लिए सहायता देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है और इसका लक्ष्य उद्देश्य 7090

इलेक्ट्रिक बसों, 5 लाख इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों, 55,000 इलेक्ट्रिक चौपहिया यात्री कारों तथा 10 लाख इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहनों के लिए सब्सिडी के माध्यम से सहायता प्रदान करना है। इसके अलावा, इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोक्ताओं में रेंज संबंधी चिंताओं का निराकरण करने के लिए चार्जिंग अवसंरचना के सृजन के लिए भी सहायता दी जाती है।

(ख) : महोदय, फेम इंडिया स्कीम के चरण-II के अंतर्गत महंगे वाहनों को मांग प्रोत्साहन प्राप्त करने से रोकने के उद्देश्य से, एक्स-फैक्ट्री मूल्य वाले वाहनों के लिए प्रोत्साहन को एक विशेष अवसीमा से कम तक सीमित किया गया है। प्रोत्साहन राशि की गणना वाहनों में प्रयुक्त बैटरी के आकार के आधार पर की जाती है। प्रोत्साहन बैटरी की क्षमता से जुड़ा है अर्थात् इलेक्ट्रिक तिपहिया और इलेक्ट्रिक चौपहिया के लिए 10,000 रुपये/किलोवाट घंटा जिसकी अधिकतम सीमा वाहन लागत के 20% होगी। इसके अलावा, दिनांक 11 जून, 2021 से इलेक्ट्रिक दुपहिया के लिए आर्थिक प्रोत्साहन/सब्सिडी को वाहन लागत सीमा के 20% से बढ़ाकर 40% अर्थात् 10,000 रुपये/किलोवाट घंटा से बढ़ाकर 15,000 रुपये/किलोवाट घंटे कर दिया गया है।

(ग) और (घ) : महोदय, भारी उद्योग मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

****